राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
"आबकारी भवन", 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001
Fax 0294-2523124, Phone (Section)-2527086 EXT. -126 E-mail : policy.ho.excise@rajasthan.gov.in

क्रमांक F.32(B)(Model Shop)EX/L/2025-26-05066-7633536/150 दिनांकः– 9.06.2025

वर्ष 2025–26 के लिये मॉडल शॉप रिटेल ऑफ अनुज्ञापत्र के संबंध में ई–नीलामी में भाग लेने के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते :–

1. मॉडल शॉप की पात्रता

प्रीमियम श्रेणी की मदिरा विक्रय के लिये मॉडल शॉप रिटेल ऑफ अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति ई–निलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति ई–नीलामी में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे :–

(i) भारत का नागरिक नही है,

(ii) अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति,

(iii) व्यक्ति जो स्वयं, जामिन या अन्य किसी रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित प्रावधानों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो।

(v) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति।

(vi) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये पात्र नही होंगे।

(vii) कोई भी व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जिसे पहले से ही किसी एक जिले में 02 कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकाने और सम्पूर्ण राज्य में 05 कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकाने आवंटित हैं

(viii) ई–नीलामी के लिये अपात्र व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लेकर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात अपात्रता की जानकारी होने पर जारी अस्थायी/स्थायी अनुज्ञापत्र निरस्त योग्य होगा एवं ऐसे अपात्र बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रकार की राशियां जप्त सरकार की जायेगी।

2. व्यक्तिगत ई–बोली के अलावा भागीदारी फर्म/कम्पनी/साझेदारी फर्म के माध्यम से निम्नानुसार ई–बोली में भाग लिया जा सकता है :–

2.1 **सीमित दायित्व भागीदार :–** सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण एवं ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। सभी भागीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सीमित दायित्व भागीदारी में सम्मिलित समस्त व्यक्ति पृथक पृथक रूप से अनुज्ञापत्र धारित करने हेतु पात्र होना आवश्यक है। सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित समस्त व्यक्ति वार्षिक गारन्टी राशि व अन्य शुल्क आदि की पूर्ति के लिये संयुक्त एवं

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

1

पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा। ऐसे भागीदारी में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित सीमित दायित्व वाली भागीदारी फर्म के किसी भी भागीदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में भागीदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारियों की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी एवं विभागीय बकाया एवं अन्य दायित्वों के प्रति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार रहेगें। सीमित दायित्व में सम्मिलित प्रत्येक भागीदार व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञापत्र धारित करने की योग्यता रखते हो,यह आवश्यक है।

2.2 **रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म :–** साझीदारी फर्म के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। साझेदार फर्म के नाम से ई–नीलामी में भाग लेने पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी तथा पार्टनरशिप डीड की स्वः प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। बोली स्वीकार हो जाने पर सभी साझीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सभी साझेदार वार्षिक गारन्टी राशि एवं अन्य देय शुल्क इत्यादि जमा कराने के लिए संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। अनुज्ञा पत्र की अवधि तक आबकारी विभाग की अनुमति के बिना साझेदारी फर्म से साझेदार अपना नाम वापस नही ले सकेगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में बिना विभागीय अनुमति के साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जप्त सरकार हो जायेगी एवं सभी साझेदार संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभागीय बकाया एवं अन्य दायित्वों के प्रति जिम्मेदार रहेगें। सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञापत्र धारित करने की पात्रता रखना आवश्यक है।

2.3 **कम्पनीः–** कम्पनी के द्वारा ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में बोलीदाता के रूप में कम्पनी का नाम अंकित करना होगा। पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। कम्पनी द्वारा किसी एक निदेशक को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएं पूरी करनी होगी तथा कम्पनी के नाम बोली स्वीकार हो जाने की स्थिति में दुकान संचालन करने से पूर्व अधिकृत पत्र की प्रति, कम्पनी के सभी निदेशक का संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा। कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाऐं देना भी अनिवार्य होगाः–

1. कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति।
2. निदेशकों के नाम व पूर्ण पते।
3. गत दो वर्षो के अंतिम लेखो की अंकेक्षित प्रति।

दस्तावेज ई–नीलामी में भाग लेने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

2.4 **व्यक्तियों का समूह :–** व्यक्तियों के समूह के नाम से भी ई–नीलामी में भाग लिया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के रूप में ई–नीलामी में भाग लेने की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को पंजीकरण एवं ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। व्यक्तियों के समूह में सम्मलित समस्त व्यक्ति की ई–बोली स्वीकृत होने पर सभी अनुज्ञाधारी कहलायेगें एवं वे संयुक्त तथा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगें। ऐसे समूह में सम्मलित व्यक्ति आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगें। यदि कोई व्यक्ति समूह से पृथक हो जाता है या विभाग द्वारा समूह से पृथक कर दिया जाता है तो भी अनुज्ञापत्र की सम्पूर्ण अवधि तक समूह के अन्य सदस्यो की भॉति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभाग के प्रति उत्तरदायी रहेगा। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र धारण करने हेतु व्यक्तिगत रूप से पात्र होना आवश्यक होगा।

3. <u>मॉडल शॉप की अवधि</u>

(1) मॉडल शॉप रिटेल ऑफ अनुज्ञापत्र की अवधि एक वर्ष (स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31–3–2026 तक) के लिये होगी। ई–नीलामी में न्यूनतम रिजर्व प्राइस पर प्राप्त अधिकतम बोली के आधार पर वर्ष 2025–26 का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाएगा।

(2) वर्ष 2025–26 के लिए बिन्दु संख्या (1) के अनुसार स्वीकृत एवं पात्र अनुज्ञाधारियों को आबकारी नीति वर्ष 2025–29 के अनुसार आगामी वर्ष 2026–27, 2027–28 एवं 2028–29 के लिए निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा।

4. <u>मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईसः</u>

4.1 ऑनलाईन नीलामी के लिये मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राइस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्ट आबू तथा आबूरोड के लिये राशि रू. 1.00 करोड प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिये राशि रू. 50.00 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित है।

4.2 राज्य में शहरीय क्षेत्र में निम्नानुसार मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी :–

क.सं.	शहरीय क्षेत्र	अनुमत मॉडल शॉप की संख्या
1	जयपुर	05
2	जोधपुर	02
3	उदयपुर	02
4	माउन्ट आबू, आबूरोड एवं अन्य शहरों में क्रमशः एक–एक	

4.3 जयपुर शहर हेतु निर्धारित मॉडल शॉप (कुल पांच) निम्नानुसार क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थापित की जा सकती है :–

S.No.	Area for location	Nagar Nigam Wards covered
1	Vidhyandhar Nagar, V.K.I., Sikar Road, Murlipura etc	Greater Ward No. 7,8,10,17,18,20,21,2[illegible],26,27
2	Raja Park, Adarsh Nagar, M.D. Road, Galta Gate, Agra Road, Transport Nagar, Janta Colony, Kukas etc.	Heritage Ward No. [illegible]63, 74-100, Greater Ward No. 148 to 149, Kukas

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 [illegible]9:06:37 IST
Reason: Approved

3	Vaishali, Chitrakoot, Bhankrota, DCM etc.	Greater Ward No. 41 to 42, 49 to 64
4	Jhalana, Mallviya Nagar, Mansarover, Sanganer Jagatpura, etc ,	Greater Ward No. 65 to 87, 100 to 119
5	JLN, Tonk Road, Airport Area, Sms stadium etc	Greater Ward No. 125 to 147, 150

4.4 एक वर्ष से कम अवधि के लिये नीलामी की स्थिति में शेष अवधि हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जायेगा।

5. मॉडल शॉप के बन्दोबस्त की प्रणाली

मॉडल शॉप के वर्ष 2025–26 के अनुज्ञापत्र निर्धारित **न्यूनतम रिजर्व प्राईस** पर ई–नीलामी प्रक्रिया से अधिकतम बोली के अनुसार प्राप्त **वार्षिक गारण्टी राशि** पर **आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति** से प्रदत्त किये जायेंगे।

6. मॉडल शॉप के बन्दोबस्त की प्रकिया

6.1 आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–26 के अनुसार मॉडल शॉप ऑनलाईन नीलामी द्वारा आवंटन किया जायेगा। इस हेतु विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर SSO (Single Sing on) के माध्यम से लॉगइन करते हुए निर्धारित प्रकिया से विभिन्न चरणों में नीलामी विज्ञप्ति के अनुसार ई–ऑक्शन किया जायेगा।

6.2 नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

6.3 बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/– अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।

6.4 बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।

6.5 शहरीय क्षेत्रों में मॉडल शॉप का जिलेवार व नीलामी की दिनांकवार विवरण एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर नीलामी की नियत दिनांक से 03 दिवस पूर्व से उपलब्ध रहेगा।

6.6 ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रकियानुसार नीलामी विज्ञप्ति के अनुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा। उक्त पोर्टल पर SSO ID बनाने की प्रकिया का Video Tutorial भी उपलब्ध है। बोलीदाता द्वारा स्वंय अथवा ई–मित्र के माध्यम से SSO ID बनाया जा सकता है। SSO ID बनाने का यूजर मैन्युअल वेबसाइट भी ई–नीलामी से संबंधित अन्य सूचनाओं के साथ भी उपलब्ध होगा। जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही SSO ID है, उन्हें उसे दुबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। **SSO ID में लॉगिन होने के उपरान्त बोलीदाता को IEMS-2.0 को सर्च करना है सर्च किये गए IEMS-2.0 को क्लिक करने के उपरान्त Public Service पर क्लिक करने के उपरान्त Auction पर क्लिक करना है। इस प्रकार नीलामी में भाग लेने के लिये उपलब्ध दुकानें प्रदर्शित होंगें।**

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

6.7 ई–नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को संबंधित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि ई–नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रियानुसार ऑनलाइन जमा करानी होगी जिसके आधार पर वह ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। बोलीदाता द्वारा चुनी हुई शॉप की ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व उक्त शॉप हेतु वांछित आवेदन शुल्क एवं पर्याप्त अमानत राशि ऑनलाइन जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

6.8 ई–नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा मॉडल शॉप का चयन कर वांछित आवेदन शुल्क एवं उसके नीलामी लगाने की सीमा तक पर्याप्त अमानत राशि नीलामी की तिथि से यथा संभव एक दिवस पूर्व ऑनलाइन जमा करा दी जानी चाहिये। अन्तिम समय में भुगतान किये जाने की स्थिति में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः बोलीदाता को नीलामी से पूर्व ही वांछित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का भुगतान कर देना चाहिये। बोलीदाता द्वारा अन्तिम समय में भुगतान करने पर किसी भी तकनीकी समस्या के कारण ई–ऑक्शन पोर्टल पर भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति के लिए बोलीदाता स्वंय ही जिम्मेदार होगा।

6.9 आवेदन शुल्क व अमानत राशि ऑनलाईन/इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।

6.10 बोलीदाता एक से अधिक मॉडल शॉप के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकेगा। एक से अधिक मॉडल शॉप की नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को प्रत्येक मॉडल शॉप हेतु पृथक–पृथक आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।

6.11 वर्ष 2025–26 हेतु प्रत्येक मॉडल शॉप के लिए अप्रतिदेय (Non-refundable) आवेदन शुल्क राशि रू. 50,000/– निर्धारित है।

6.12 **<u>मॉडल शॉप की अमानत राशि (Earnest Money)</u>–**

प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। नीलामी के दौरान बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि भी जमा करानी होगी। नीलामी प्रक्रिया में Dynamic अमानत राशि का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2025–26 हेतु ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में Dynamic अमानत राशि का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस से जिस अधिकतम राशि तक बोलीदाता बोली लगाने का इच्छुक है, के 2 प्रतिशत के बराबर अमानत राशि बोली से पूर्व विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में जमा रखना होगा उदाहरणस्वरूप, अगर किसी शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईस 1.00 करोड है और बोलीदाता उस बोली को 2.00 करोड तक ले जाने का इच्छुक है तो उसको अमानत राशि के पेटे 4.00 लाख रू विभागीय ई–ऑक्शन पोर्टल में जमा रखना होगा। ई–ऑक्शन पोर्टल में बोलीदाता के पक्ष में जमा एवं उपलब्ध अमानत राशि के अनुसार ही बोलीदाता ई–नीलामी में बोली लगा सकेगा। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा।

6.13 उच्चतम बोलीदाता (H1) को विभागीय ई–नीलामी पोर्टल द्वारा बोली अंतिम (Finalization of Bid) होने की सूचना दी जायेगी।

6.14 नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राइज पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में [illegible] जायेगा। [illegible] से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित मॉडल शॉप के लिये **वार्षिक गारण्टी** [illegible] के रूप में निर्धारित की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15714373

6.15 सफल बोलीदाता को मॉडल शॉप की निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि की 8 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (Security Deposit) बोली स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) से 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, के भीतर जमा करानी होगी।

6.16 सफल बोलीदाता को वर्ष 2025–26 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 05 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में नीलामी की बोली स्वीकार होने के 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी।

6.17 सफल बोलीदाता को वार्षिक गारन्टी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में जमा करानी होगी जिसकी आधी राशि (50 प्रतिशत राशि) बोली स्वीकार होने के 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी। शेष 50 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर तक राजकोष में जमा करानी होगी।

6.18 सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि (Earnest Money) को संबंधित मॉडल शॉप की धरोहर राशि पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

6.19 निर्धारित समय में वॉछित राशियाँ यथा– धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।

6.20 सफल बोलीदाता (H1) के किसी कारण से बेक आउट होने पर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) को सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस मॉडल शॉप को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जायेगी।

6.21 द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति ना देने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) को प्रथम सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस मॉडल शॉप को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

6.22 प्रथम (H1) , द्वितीय (H2) व तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया में बेक आउट होने पर नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

6.23 नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल आवेदक के रूप में चयन किया जायेगा, परन्तु एक व्यक्ति एक जिले में दो शॉप से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच मॉडल शॉप से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. पर लागू नहीं होगी।

6.24 बोलीदाता की किसी आबकारी जिले में दो से अधिक शॉप (रिटेल ऑफ कम्पोजिट शॉप सहित) के लिए उच्चतम बोली रहने पर केवल अधिकतम गारण्टी राशि वाली दो मॉडल शॉप के लिए ही अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाएगी।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

6.25 किसी बोलीदाता की राज्य में पांच से अधिक शॉप (रिटेल ऑफ कम्पोजिट शॉप सहित) के लिए उच्चतम बोली रहने पर केवल अधिकतम गारन्टी वाले पांच शॉप के लिए ही अस्थाई अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जाऐगी। बोलीदाता का यह दायित्व होगा की राज्य के विभिन्न जिलों में उसके द्वारा लगाई गई बोलियों में से रही उच्चतम बोली की सूचना संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को नीलामी समाप्ति के तत्काल पश्चात् सूचित करे।

6.26 यदि आबकारी जिले में किसी बोलीदाता की दो तथा राज्य में पांच से अधिक मॉडल शॉप के लिए उच्चतम बोली रहती है तो बोलीदाता को संबंधित जिले में वे दो मॉडल शॉप व राज्य में वे पांच मॉडल शॉप स्वीकृत किये जाएगे जिनकी वार्षिक गारण्टी राशि अधिकतम हो। शेष मॉडल शॉप हेतु द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) को सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस शॉप को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र की स्वीकृति जारी की जायेगी।

6.27 द्वितीय उच्चतम बोलीदाता (H2) द्वारा उपर्युक्त अवसर के बाद सहमति ना देने पर तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) को प्रथम सफल बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तावित वार्षिक गारण्टी राशि पर उस मॉडल शॉप को लेने हेतु अवसर दिया जायेगा तथा तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा सहमति देने पर पूर्व उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार राशि जमा कराने पर उसके पक्ष में अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। द्वितीय (H2) व तृतीय उच्चतम बोलीदाता (H3) द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया में बेक आउट होने/सहमति नहीं देने पर नये सिरे से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

6.28 ई–नीलामी समाप्ति के पश्चात प्रथम तीन बोलीदाताओं (H1, H2 एवं H3) के अतिरिक्त शेष सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि उनके द्वारा ई–ऑक्शन पोर्टल में पंजीकरण करते समय दर्ज बैक खाते में ऑनलाइन रिफण्ड की जायेगी। अतः बोलीदाता को ई–ऑक्शन पोर्टल में पंजीकरण करते समय उसके बैक खाते से संबंधित समस्त सूचनाएँ बिना किसी त्रुटी के सही रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करना होगा जिससे सही बैंक खाते में ही अमानत राशि का रिफण्ड हो सके। उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

6.29 प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाता (H1 ,H2 एवं H3) में से जिस बोलीदाता के पक्ष में अनुज्ञापत्र जारी होता है उसके अनुज्ञापत्र जारी होने के उपरांत H1 एवं अनुज्ञाधारी के अतिरिक्त शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित बोलीदाता द्वारा ई–ऑक्शन पोर्टल में पंजीकरण करते समय दर्ज बैक खाते में ऑनलाइन रिफण्ड कर दी जायेगी।

6.30 बोलीदाता को ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29, समस्त दिशा–निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

6.31 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15714373

6.32 ई–नीलामी के संबंध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु मुख्यालय उदयपुर, संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

6.33 ई–नीलामी के संबंध में अन्य प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति 2025–29 के अनुसार रहेगे।

6.34 ई–नीलामी के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

7. मॉडल शॉप की धरोहर राशि अदायगी

7.1 वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की 8 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में जमा करवाई जाएगी।

7.2 सफल बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2025–26 की निर्धारित वार्षिक गारन्टी राशि की 8 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता के नाम स्वीकृति जारी होने पर देय धरोहर राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) बोली स्वीकार होने की दिनांक से (ई–नीलामी दिवस को छोडकर) 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में ई–ग्रास चालान के माध्यम से संबंधित बजट मद के अन्तर्गत राजकोष में जमा करानी होगी।

7.3 नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 की जमा कराई गई धरोहर राशि का क्रमशः वर्ष 2026–27, 2027–28 व 2028–29 की धरोहर राशि के पेटे समायोजित कराकर अन्तर राशि जमा करानी होगी।

8. मॉडल शॉप की अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि

8.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2025–26 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि का 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में बोली स्वीकार होने की दिनांक से 5 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी।

8.2 इस 5 प्रतिशत अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि का वर्ष 2025–26 के माह जनवरी से माह मार्च में निर्धारित मासिक गारंटी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी में समायोजन किया जा सकेगा।

8.3 नवीनीकरण की स्थिति में अनुज्ञाधारी वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 हेतु जमा कराई अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का क्रमशः वर्ष 2026–27, 2027–28 व 2028–29 की अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि के पेटे समायोजन किया जा सकेगा।

9. मॉडल शॉप की वार्षिक लाईसेंस फीस :–

9.1 मॉडल शॉप के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेन्स फीस के रूप में जमा करानी होगी।

9.2 यह राशि दो समान किश्तों में – 50 प्रतिशत राशि शॉप प्रारंभ करने से पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 सितम्बर तक राजकोष में जमा करानी होगी।

10. मॉडल शॉप की अवस्थिति :–

10.1 राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित प्रावधानों के तहत मॉडल शॉप शहरी क्षेत्रों में शॉपिग कॉम्पलेक्स, मॉल, चिन्हित स्थानों पर नियमानुसार संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को दुकान की अवस्थिति का स्पष्ट मानचित्र फोटो मय अधिकार साक्ष्य प्रस्तुत/अपलोड करने पर ऑनलाइन लोकेशन अंकित की जायेगी। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय आदेश अन्तिम होगे।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M. Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

10.2 मॉडल शॉप्स का शॉपिंग मॉल तथा अन्य कम्पलेक्स या चिन्हित स्थानों पर स्थापित करने हेतु जयपुर शहर में न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट तथा अन्य जिलों में न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गफीट का होना आवश्यक होगा। जिसकी लॉकेशन स्वीकृति हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को दुकान की अवस्थिति का स्पष्ट मानचित्र फोटो मय अधिकार साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन लोकेशन अनुमत की जायेगी। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होगे। स्वीकृत लोकेशन को निरस्त/परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। मॉडल शॉप का संपूर्ण एरिया वातानुकूलित एवं Walk in Pattern की सुविधायुक्त होना आवश्यक होगा

10.3 मॉडल शॉप की किसी रिटेल ऑफ (Retail Off) शॉप से जयपुर शहर में कम से कम 300 मीटर तथा अन्य शहरों में कम से 200 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। इसी प्रकार दो मॉडल शॉप के बीच कम से कम 2000 मीटर की दूरी होना आवश्यक होगी।

10.4 मॉडल शॉप पर बिलिंग हेतु POS मशीन लगाना एवं उससे बिल जारी करना अनिवार्य होगा।

10.5 मॉडल शॉप्स पर CCTV कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा जिसमें न्यूनतम एक माह की रिकॉडिंग सुरक्षित रखी जानी अनिवार्य होगी।

10.6 मॉडल शॉप्स पर ग्राहकों की सुविधा हेतु होलोग्राम स्कैनर बीप मशीन इत्यादि लगाना अनिवार्य होगा।

10.7 गलत सूचना के आधार पर मॉडल शॉप की लोकेशन स्वीकृत कराया जाना पाये जाने पर स्वीकृति को तुरन्त निरस्त किया जायेगा एवं अनुज्ञाधारी द्वारा लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी। नये स्थान पर लोकेशन स्वीकृत/परिवर्तन कराने हेतु अनुज्ञाधारी द्वारा राशि रू. 1.00 लाख फीस के रूप में जमा कराकर आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को दुकान की अवस्थिति का स्पष्ट मानचित्र फोटो मय अधिकार साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

10.8 आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से मॉडल शॉप हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत मॉडल शॉप को एक स्थान से उसी क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक गारण्टी राशि में छूट पाने का हकदार नही होगा तथा अनुज्ञाधारी द्वारा मॉडल शॉप स्थानान्तरण/लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी।

10.9 निर्धारित क्षेत्र में मॉडल शॉप की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उसे संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय शुल्क राशि में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

10.10 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12179/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ़ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 एवं सिविल अपील सख्यां 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National Highways and State Highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना करनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

11. मॉडल शॉप की वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण :–

11.1 ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक मॉडल शॉप के लिए वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण किया जायेगा तथा वार्षिक गारंटी राशि में प्रीमियम श्रेणी की IMFL, BIO, BII, RTD BEER, WINE & Heritage Liquor आदि का उठाव अनुमत होगा।

11.2 मॉडल शॉप के लिए मदिरा की प्रीमियम श्रेणी निम्नानुसार होगी :–

1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	विक्रय मूल्य रू. 1500/–प्रति बोटल (750 एम.एल.) एवं उस ब्राण्ड के अनुरूप लघु धारिता की राशि सहित या उससे अधिक मूल्य के मदिरा ब्राण्डस।
2	बीयर	विक्रय मूल्य रू. 200/–प्रति बोटल (650 एम.एल.) एवं उस ब्राण्ड के अनुरूप लघु धारिता की राशि सहित या उससे अधिक मूल्य के समस्त ब्राण्डस।
3	विदेशी मदिरा एवं बीयर (BII & BIO) दोनो प्रकार की	समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा एवं विदेशी बीयर सभी मूल्य वर्ग की।
4	वाईन एवं आर0टी0डी0	सभी मूल्य वर्ग के सभी ब्राण्डस।
5	हेरिटेज मदिरा	समस्त प्रकार की राजस्थान निर्मित हेरिटेज मदिरा सभी मूल्य वर्ग की।

11.3 निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि पेटे प्रीमियम श्रेणी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), Bottled in India (BII), आयातित विदेशी मदिरा (BIO) हेरिटेज मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी तथा BIO की होलसेल फीस का भराव दिया जायेगा।

11.4 निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि 12 महीनों या शेष महीनों (एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकृति की स्थिति में) में बराबर–बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार प्रतिमाह प्रीमियम श्रेणी की मदिरा का उठाव करना होगा।

11.5 मॉडल शॉप अनुज्ञाधारी आर.एस.बी.सी.एल. डिपो के साथ–साथ किसी भी आबकारी बोण्ड से आयातित विदेशी मदिरा (BIO) क्रय कर सकेगा तथा आयातित विदेशी मदिरा (BIO) को स्थानीय होटल बार/रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञाधारियों के साथ ऑकेजनल अनुज्ञप्तिधारी को भी विक्रय कर सकेगा।

11.6 विभाग द्वारा क्रमिक रूप से आकस्मिक अनुज्ञप्तिधारी के लिए बिल कम परमिट अनिवार्य किया जाएगा। अतः आकस्मिक अनुज्ञप्तिधारी को प्राथमिकता से मदिरा विक्रय की जावे।

11.6 मॉडल शॉप पर प्रीमियम श्रेणी की मदिरा के साथ Accessories का भी विक्रय अनुमत होगा।

11.7 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि से अधिक उठाव करने पर उसका समायोजन आगामी माह या माहों में मासिक गारंटी राशि पूर्ति हेतु किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15714373

11.8 किसी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि की 20 प्रतिशत तक बकाया रहने की स्थिति में अनुज्ञाधारी द्वारा अगले माह की 20 तारीख तक बकाया राशि की 150 प्रतिशत राशि के बराबर मदिरा उठाव या नकद जमा द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकेगी। किसी भी माह में निर्धारित मासिक गारंटी राशि की 20 प्रतिशत से ज्यादा बकाया नही रहनी चाहिये, अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11.9 प्रीमियम श्रेणी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), हेरिटेज मदिरा, वाईन, बीआईआई (BII) बीयर (Beer) बीआईओ (BIO) मदिरा ग्लास, कैन, फूडग्रेड पैट, एसेप्टिक पैक एवं मैटल पैकिंग में विक्रय किया जा सकेगा।

11.10.प्रीमिय श्रेणी की मदिरा एवं बीयर पर आबकारी ड्यूटी एवं विदेशी मदिरा की होलसेल फीस राज्य सरकार द्वारा इस हेतु जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगी। जिससे समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

11.11 प्रीमियम श्रेणी की मदिरा पर अन्य प्रभार यथा वेट, सरचार्ज, परमिट फीस एवं अन्य कोई सेस लागू होता है तो उसका भुगतान नियमानुसार करना होगा।

11.12 मॉडल शॉप्स के माध्यम से किया जाना वाला समस्त व्यवसाय विभागीय सॉफ्टवेयर Integrated Excise Management System (IEMS-2.0) के माध्यम से संचालित होगा।

12 **<u>मॉडल शॉप की मासिक गारंटी राशि के कोटे को अन्य मॉडल शॉप के अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था–</u>**

मासिक गारंटी राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी को अपने कोटे के अंश विशेष को अन्य मॉडल शॉप के अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्ते अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जायेगा, परन्तु मासिक गारंटी राशि में कोई बदलाव किया नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु उसी जिलें में स्थानान्तरण पर 10 रूपये प्रति बल्क लीटर तथा अन्य जिलें के अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरण पर 20 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांसफर फीस के रूप में जमा कराना होगा।

उक्त स्थानान्तरण कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी की वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा तक ही अनुमत होगी। स्थानान्तरण कोटे की मात्रा लेने वाले अनुज्ञाधारी के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी। आगामी वर्ष में वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

13. किसी भी प्रकार की मदिरा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचान नही की जा सकेगी। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर तथा जिस मदिरा का न्यूनतम विक्रय मूल्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित हैं, से कम मूल्य पर एवं निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर अनुज्ञाधारी या उसके नौकर द्वारा मदिरा बेचते हुए पाये जाने पर यह अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

14. आगामी वित्तीय वर्षो में मॉडल शॉप के नवीनीकरण की प्रकिया :

14.1 वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 के पात्र अनुज्ञाधारियों को कमशः वर्ष 2026–27, 2027–28 व 2028–29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा।

14.2 नवीनीकरण के लिये वे अनुज्ञाधारी ही पात्र होंगे जिन्होंने अपनी निर्धारित गारंटी राशि की पूर्ति कर ली जो तथा जिनके विरूद्व कोई बकाया नही हो।

14.3 नवीनीकरण की प्रक्रिया में वार्षिक गारंटी राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए आगामी वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात वर्ष 2026–27, 2027–28 व 2028–29 के लिये नवीनीकरण हेतु कमशः वर्ष 2025–26, 2026–27 व 2027–28 की वार्षिक गारंटी राशि में 10 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए नवीनीकरण वर्ष की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा।

14.4 नीति के प्रावधानों की समीक्षा में ड्यूटी, फीस आदि में संशोधन तथा अन्य परिस्थितियों के आधार पर अतिरिक्त वृद्वि भी की जा सकेगी।

14.5. नवीनीकरण की प्रकिया में इच्छुक अनुज्ञाधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 के जनवरी माह में आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिये नवीनीकरण फीस के साथ आवेदन करना होगा।

14.6 अनुज्ञाधारी को ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।

15. रिटेल लाईसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध मे अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 के अनुरूप लागू रहेगें।

17. अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके तहत बने नियम/उपनियम/दिशा–निर्देश आदि की पालना हेतु पाबन्द रहेगें।

18. आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–29 एवं इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाएं /विभागीय परिपत्र/ आदेश एवं राज्य सरकार/ विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगें।

(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त,राजस्थान

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15714373

क्रमांक F.32(B)(Model Shop)EX/L/2025-26-05066-7633536/150 दिनांकः—9 .06.2025

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
7. महाप्रबंधक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जयपुर।
8. ब्रांच मेनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर।
10. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.......................... ।
11. जिला आबकारी अधिकारी समस्त.................................. ।

आबकारी आयुक्त,राजस्थान

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 19:06:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15714373